

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार, चौहटन

सरकारी जरिये पटवारी हल्का..... बनाम विप्राधी श्री.....
317/24 सुमालदीन
राजस्व मुकद्दमा नं. 317/24 /20 निर्णय दिनांक सुमा
अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 7/10/24 निवासी.....

आदेश

यह मामला पटवारी हल्का..... की रिपोर्ट पर दर्ज रजिस्टर किया गया।
जिसके अनुसार अप्राधी ने सरकारी भूमि मौजा..... के ख. नं. 49 में रकबा
16-4 बीघा किस्म..... पर संवत् 2081 खरीफ में काश्त कब्जा पर अतिक्रमण किया है।
अप्राधी को राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया। जो अप्राधी से तामिल हो
चुका हैं अप्राधी उपस्थित/अनुपस्थित।

अप्राधी ने उक्त विवाद आराजी पर अपना अतिक्रमण कर कब्जा कास्त करना स्वीकार किया/बावजूद नोटिस
तामिल के अप्राधी अनुपस्थित रहा। अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः अप्राधी को
विवादाग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उक्त आराजी की फसल को जब्त
सरकार किया जाकर अप्राधी पर बतौर लगान / शास्ति के भूमि के वार्षिक लगान रूपये 0-80
का 50 गुणा रूपये 40 अक्षरे..... आरोपित किये जाते हैं।
भू.अ. निरीक्षक हल्का.....
को आदेश दिये जाते कि वह उक्त भूमि से अतिक्रमी को बेदखल कर / मौके पर खड़ी फसल को नीलाम कर फर्द नीलामी स्वीकृत
हेतु प्रस्तुत करे। पालना रिपोर्ट 3 दिन में पेश करें। जुर्माना / फसल नीलामी की वसूली हेतु पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व
लेखाकार सूचित हो।

पत्रावली फसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 7/10/24 को
सरे आम लिख कर सुनाया गया।

तहसीलदार चौहटन

तहसीलदार चौहटन